फर्द अहकाम

महन्त श्री [illegible] बनाम ग्राम पंचायत अमरसर

नाम न्यायालय ACM CFD Shahpura - Jaipur

केस संख्या 54/2023 धारा - 188 RTA

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	17/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की प्रकरण में पुनः बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ 23/1/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	23/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित वकील वादी की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली, साक्ष्य शपथ-पत्र, प्रदर्श का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत दावा डिक्री किए जाने उचित समझते हैं अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली हो। पत्रावली नियमित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी, आर ए एस

द संख्या :– 54/2023

उनवान

1. महन्त श्री प्रेमगिरी चेला स्व0 श्री गोपाल गिरी उम्र 58 वर्ष जाति संन्यासी निवासी श्री महाकाली माता मंदिर अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

– वादीगण

बनाम

ग्राम पंचायत अमरसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अमरसर पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

ग्राम पंचायत अमरसर जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अमरसर पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर(रज0)

– प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

ी मदनलाल जाट एडवोकेट वादी की ओर से

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 23/1/2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 –1536 रकबा 0.84 1537 रकबा 7 1538 रकबा 067 1539 रकबा 0.03, 1540 रकबा 0.91, 1541 रकबा 0.44, 1546 रकबा 6, 1547 रकबा 0.76 किता –8 कुल रकबा 10.66 है0 वाकै ग्राम पठानों का बास पटवार हल्का रसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित हैं जिसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज जस्व रिकार्ड हैं नकल जमाबंदी सं0 –2074 से 2077 खाता संख्या 40 संलग्न वाद पत्र हैं। कि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित खातेदारी भूमि को वादी काबिज रहकर काश्त एवं ने उपयोग उपयोग में लेता आ रहा हैं वादी अपनी उक्त खातेदारी भूमि में खडें पेड पौधो छांगकर उनकी लूम पापडी, व ईधन को अपने काम में लेता आ रहा है तथा वादी की उक्त तेदारी भूमि में अलमशुहर श्री काली माता मंदिर अमरसर के धार्मिक उत्सव व नवरात्रा के य आने वाले भक्तगण एवं श्रदालू वादी की सहमति से अपने उठने बेठने एवं अपने साधन दे खडा करने के काम में लेते आ रहे हैं । यह कि वाद पत्र के जिमन नं0 –1 में वर्णित ी की खातेदारी भूमि से अथवा उसके किसी भाग से एंव उसमें निर्मित संरचनाओं आदि से ावादीगण का एवं अन्य किसी का कभी कोई हक अधिकार एवं संबध नहीं रहा हैं लेकिन ावादीगण वादी की वाद पत्र के जिमन नं0 –1में वर्णित खातेदारी भूमि में वादी कि बिना मति के एंव बिना हक अधिकार के अलमशुंहर श्री काली माता मदिर अमरसर के नवरात्रा पर्व समय गलत एंव गैर कानूनी रूप से दीगर व्यक्तियों को अस्थायी रूप में दुकान लगाने के जगह राशि लेकर आवंटित करने पर व वादी को उसकी उक्त खातेदारी भूमि से जबरन

ायक कलक्टर
रा (जिला-जयपुर) राज.

दखल करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण को वादी की वाद पत्र के जिमन नं0 –1 में र्णित खातेदारी भूमि में ऐसा करने को कोई हक अधिकार नही रहा हैं । यह कि दिनांक 26. 2.2023 को वादी वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि की सार सम्हाल र रहा था तब प्रतिवादीगण अपने साथ कर्मचारियों आदि को साथ लेकर आया और वादी को मकी दी कि हम तुम्हारी उक्त खातेदारी भूमि में जबरन आपकी बिन सहमति के नवरात्रा पर्व समय दीगर व्यक्तियों को उनसे राशि प्राप्त कर अस्थायी दुकानों का आंवटन करके रहेगें था आपको उक्त खातेदारी भूमि का उपयोग नही करने देगे जबकि प्रतिवादीगण को वादी की ाद पत्र के जिमन नं0 –1में वर्णित खातेदारी भूमि से अथवा उसके किसी भाग से कभी कोई क अधिकार एवं संबंध नही रहा है प्रतिवादीगण के ऐसा करने से वादी के खातेदारी हक धिकारों का हनन होगा जिससे वादी को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी कार से धनराशि के रूप में नहीं की जा सकेगी । यह कि वादी ने अपने अधिवक्ता श्री दनलाल जाट से प्रतिवादीगण को वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि के संबंध में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा–109 का विधिक नोटिस दिनांकित–27. 02.2023 जरिये डाक रजिस्ट्री भिजवाया हैं। उक्त विधिक नोटिस प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया लेकिन प्रतिवादीगण ने गलत एवं मनधडन्त तथ्यों पर वादी व उसके अधिवक्ता को जवाब नोटिस भिजवाया हैं जिसे वादी ने निरस्त कर दिया हैं उक्त विधिक नोटिस की प्राप्ति व उसकी समयावधि के बाद भी प्रतिवादीगण वादी के वाद पत्र के जिमन नं0 –1 में वर्णित खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग में मजाहमत पैदा कर रहे हैं तथा उन्होने दिनांक 09.06.2023 को वादी को एलानियां धमकी दी हैं कि हम वादी को उसकी वाद पत्र के जिमन नं0 –1 में वर्णित खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल कर स्वंय कब्जा करके रहेगे । इस कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए प्रस्तुत वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ हैं ।

अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद प्रतिवादीगण व नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि व स्थानापन्न आदि के विरूद्ध मंजूर कर उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी को उसकी खातेदारी आराजी खसरा नं0–1536 रकबा 0.84,1537 रकबा 037,1538 रकबा 0.67 1539 रकबा 0.03 1540 रकबा 0.91 1541 रकबा 0.44 1546 रकबा 6.64, 1547 रकबा 0.76 कुल किता –8 कुल रकबा 10.66 है0 वाके ग्राम पठानो का बास पटवार हल्का अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर से अथवा उसके किसी भाग से जबरन बेदखल नही करे तथा वादी के उक्त भूमि के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपयोग में कोई मजाहमत पैदा नही करे तथा वादी की बिना सहमति के उक्त आराजी में दीगर व्यक्तियों को अस्थायी दुकान की जगह आवंटित नही करे न करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवतः नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी गण संख्या 1 एंव 2 की तरफ से एडवोकेट विनोद सैनी ने अन्डकटेकिंग दी । प्रकरण में दिनांक 18.03.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नही, आवाज

हायक कलक्टर
(जिला-जयपुर) राज.

लगाई गई । आवाज लगाने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रकरण में दिनांक 11.11.2024 को वकील वादी ने मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र पीडब्ल्यू–1 महंत श्री प्रेमगिरी , पीडब्ल्यू–2 हरि पुत्र नाथुराम , पीडब्ल्यू–3 सुरेन्द्र पुत्र प्रेमप्रकाश, पीडब्ल्यू–4 भगवानसहाय पुत्र छोटुराम के पेश किये गये व बयान दर्ज कराये गये एवं पत्रावली में पेश दस्तावेजात पर प्रदर्श डलवाये गये ।

वकील वादी ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात , मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र, प्रदर्श का अवलोकन करवाते हुये अपने वाद–पत्र की ताईद की । वकील वादी की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र, प्रदर्श, व बयान गवाहान का अवलोकन किया गया । अवलोकन उपरान्त जाहिर होता हैं कि वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1536 रकबा 0.84,1537 रकबा 037,1538 रकबा 0.67 1539 रकबा 0.03 1540 रकबा 0.91 1541 रकबा 0.44 1546 रकबा 6.64, 1547 रकबा 0.76 कुल किता –8 कुल रकबा 10.66 है0 वाके ग्राम पठानो का बास पटवार हल्का अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का वादी स्वंय मुताबिक जमाबंदी दर्ज राजस्व रिकार्ड खातेदार हैं एवं प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना व तामिल के अनुपस्थित रहे हैं जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी हैं । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात,मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र , प्रदर्श व बयान गवाहान वाद पत्र को साबित करने में सफल रहे हैं । अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद –पत्र वादी के हक में डिकी किया जाना उचित समझते हैं ।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद–पत्र मुताबिक दस्तावेजात, मुख्य परीक्षण के शपथ–पत्र , प्रदर्श व बयान गवाहान के आधार पर डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई–निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं0 1536 रकबा 0.84, 1537 रकबा 037, 1538 रकबा 0.67, 1539 रकबा 0.03, 1540 रकबा 0.91, 1541 रकबा 0.44, 1546 रकबा 6.64, 1547 रकबा 0.76 कुल किता –8 कुल रकबा 10.66 है0 वाके ग्राम पठानो का बास पटवार हल्का अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी एवं मजाहत पैदा नहीं करें एवं जबरन बेदखल नही करे । पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/1/2025 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

(अमन चौधरी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
शाहपुरा, जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी, आर ए एस

वाद संख्या :– 54 / 2023

उनवान

1. महन्त श्री प्रेमगिरी चेला स्व0 श्री गोपाल गिरी उम्र 58 वर्ष जाति संन्यासी निवासी श्री महाकाली माता मंदिर अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

– वादीगण

बनाम

. ग्राम पंचायत अमरसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अमरसर पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

. ग्राम पंचायत अमरसर जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अमरसर पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर(राज0)

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

श्री मदनलाल जाट एडवोकेट वादी की ओर से

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 23/1/2025

तः उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद–पत्र मुताबिक दस्तावेजात, मुख्य परीक्षण के र , प्रदर्श व बयान गवाहान के आधार पर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये षेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि आराजी खसरा रकबा 0.84, 1537 रकबा 037, 1538 रकबा 0.67, 1539 रकबा 0.03, 1540 रकबा 0.91, बा 0.44, 1546 रकबा 6.64, 1547 रकबा 0.76 कुल किता –8 कुल रकबा 10.66 है0 वाके ो का बास पटवार हल्का अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि में किसी प्रकार अंदाजी एवं मजाहत पैदा नहीं करें एवं जबरन बेदखल नही करे ।

ा तारीख 23/1/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

र्गत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज
सत्यमेव जयते

(अमन चौधरी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
नए स्टाम्प लिए स्टाम्प स्टाम्प प्लीडर की फीस नेर्वाह – व्यय न	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
		जोड़	